रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032024-253235 CG-DL-E-19032024-253235

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

No. 207] NEW

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2024/फाल्गुन 29, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2024/PHALGUNA 29, 1945

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2024

सा.का.िन. 221(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धित आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 4 और धारा 6 के अनुसरण में, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, जो तारीख 11 जून, 2021 की संख्या का.आ. 2281 (अ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: उक्त अधिसुचना में.-

(i) सारणी में, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन उपशीर्षक के अधीन क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखे जायेंगे, अर्थात: -

2111 GI/2024 (1)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	सदस्यता की स्थित
(1)	(2)	(3)
"3.	वैद्य पी. राममनोहर, अनुसंधान निदेशक, अमृता स्कूल ऑफ	अंशकालिक सदस्य" ;
	आयुर्वेद, केरल	

[फा. सं. वाई-18011/5/2021-ईपी-III-भाग(2)] विश्वजीत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: -मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (ii) में, संख्या का.आ. 2281(अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई और अधिसूचना संख्या का.आ. 2714(अ), तारीख 13 जून, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF AYUSH NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2024

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and in pursuance of sections 4 and 6 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ayush published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2281(E), dated the 11th June, 2021, namely:-

In the said notification, -

(i) in the table, under the sub-heading under clause (a) of sub-section (4) of section 4, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Sl.No.	Name of Member	Status of Membership
(1)	(2)	(3)
"3.	Vd. P. Rammanohar, Research Director, Amrita School of Ayurveda, Kerala	Part-time Member ";

[F. No. Y-18011/5/2021-EP-III-Part(2)]

BISHWAJIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2281(E), dated the 11th June, 2021 and last amended vide notification number SO. 2714(E), dated the 13th June, 2022.